न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

मुकदमा संख्या 135/2025

अनवान राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार सिणधरी बनाम केसीदेवी

–::आदेश::–

दिनांक 9-7-25

श्रीमान जिला कलक्टर के पत्रांकःप.12()(1)राजस्व/2016/7205–40 दिनांक 10.10.2016 के द्वारा प्राप्त निर्देशों की अनुपालना में तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन किया है,कि राजस्व **हुकमोणी साई नगर** पटवार मण्डल **खरंटिया** तहसील सिणधरी की जमाबंदी संवत् 2076–2079 के अनुसार के निम्नांकित भूमि निजी खातेदारी में दर्ज है। लेकिन मौके पर रास्ते के उपयोग में आ रही है,जिसे गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने के आदेश प्रदान करावें।

भूमिधारक तहसीलदार सिणधरी द्वारा अनुशंषा किये जाने पर राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांकःप.3(2)राज–6/2003/पार्ट/04 दिनांक 10.08.2016 एवं राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांकःप.3(2)राज–6/2021/पार्ट/91 दिनांक 30.9.2021 के अनुसरण में में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 60 (एच) के तहत राजस्व **हुकमोणी साई नगर** पटवार मण्डल **खरंटिया** तहसील सिणधरी की निम्नांकित निजी खातेदारी भूमि को **गैर मुमकिन रास्ता** दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सिणधरी तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शा ट्रेस में आदेशानुसार पालना करते हुए पालना रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध करावें। तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव व नजरी नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

क्र. स.	खातेदार का नाम	ख.न.	रकबा (हैक्ट.)	किस्म	रास्ते हेतु मौके अनुसार प्रस्तावित भूमि			
					रकबा (हैक्ट.)	लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	किस्म
1	केसीदेवी टीपूदेवी राउराम जुंजाराम जगमालराम पि. मेवाराम जोगाराम चूनाराम पुत्र मगाराम धर्माराम भूराराम पुत्र किरताराम चैनाराम पुत्र करनाराम कौम जाट सा.देह खातेदार	18	6.8846	बा.दो.	0.006	10	6	बा.दो.
2.	चैनाराम पुत्र करनाराम कौम जाट सा.देह खातेदार	36	19.8529	बा.दो.	0.234	390	6	बा.दो.

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:35:16 IST
Reason: SelfAttested

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधि[illegible].सिणधरी